



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228053  
CG-DL-E-01072021-228053

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]  
No. 372]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2021/आषाढ 10, 1943  
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2021/ASHADHA 10, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2021

**सा.का.नि. 462(अ).**—गैस सिलेंडर नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों के प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस (30) दिनों के पश्चात विचार किया जाएगा; इन प्रारूप नियमों के बारे में, यदि कोई आक्षेप या सुझाव हों तो, अपर सचिव (विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कमरा नं. 135, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110 011 को या ईमेल द्वारा (sushil.satpute@nic.in) ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप नियमों के बारे में, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

**प्रारूप नियम**

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को गैस सिलेंडर (चौथा संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।
- ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. गैस सिलेंडर नियम, 2016 में** (इसके पश्चात इन्हें उक्त नियम कहा जाएगा), **उप-नियम 2 (ख) के पश्चात नियम 6 में** निम्नलिखित उप-नियम को शामिल किया जाएगा नामतः

“(ग) गैर-विषाक्त, गैर-ज्वलनशील गैस और तरल पदार्थों को भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उच्च दाब के सिलेंडरों और क्रायोजेनिक कंटेनरों पर क्यूआर कोड के रूप में स्थाई और परिवर्तित न की जा सकने वाली मार्किंग सिलेंडरों पर सुस्पष्ट रूप से की जाएगी।

[फा.सं. पी-13033/32/2021-विस्फोटक-भाग(1)]

सुमिता डावरा, अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Industrial Policy and Promotion)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25<sup>th</sup> June, 2021

**G.S.R. 462(E).**—The draft of the following rules to amend the Gas Cylinders Rules, 2016 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after thirty (30) days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public; Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Additional Secretary (Explosives), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 135, Udyog Bhawan New Delhi – 110011 or sent by email ( sushil.satpute@nic.in) within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

**Draft rules**

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Gas Cylinders (**Fourth Amendment**) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

**2. In the Gas Cylinders Rules, 2016** (hereinafter referred to as said rules), in **rule 6 after Sub-rule 2(b)** the following sub-rule shall be inserted namely:-

“(c) All the high pressure cylinders and Cryogenic containers used for filling Non-Toxic, Non-Flammable Gases and Liquids shall have permanent and tamperproof marking in form of QR code at conspicuous place on cylinders.

[F.No. P-13033/32/2021-EXPLOSIVE-Part(1)]

SUMITA DAWRA, Addl. Secy.